179 19 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों में यूनियनबद्ध कामगारों के लिए वेतन संबंधी बातचीत के 7वें दौर के लिए नीति – वेतन निर्धारण की अवधि

अधोहस्ताक्षरी को 1.1.2007 से केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों में यूनियनबद्ध कामगारों के लिए वेतन संबंधी बातचीत के 7वें दौर के लिए नीति के संबंध में दिनांक 09.11.2006 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है । दिनांक 09.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 9 (IV) में प्रावधान किया गया है कि वेतन निर्धारण की वैधता अवधि 1.1.2007 से 100 प्रतिशत महंगाई भत्ते को नगण्य बनाते हुए 10 वर्ष होगी । सीपीएसई के विभिन्न यूनियों/असोशियनों की मांगों ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निश्चय किया है कि वेतन निर्धारण की वैधता अवधि 10 वर्ष से कम हो सकती है, परंतु किसी भी सूरत में 5 वर्ष से कम नहीं होगी। दिनांक 09.11.2006 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए दिशानिर्देशों के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। संबंधित सीपीएसई के प्रशासनकि मंत्रालय/विभाग अपने मंत्री के अनुमोदन से वेतन निर्धारण की अवधि को मामला दर मामला आधार पर 10 वर्ष से कम परंतु 5 वर्ष से किसी भी सूरत में कम नहीं रखने का निणय लग सकते हैं।

2. यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (7)/2006–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**VI,** दिनांक 01 मई 2008)

*****